सत्र प्रकरण कमांक–38/18 *''राज्य विरूद्ध सत्तू साहू''*

Witness No. .....–10– ..... **for ...**–अभियोजन साक्षी–**.... Deposition taken the ..... –05/09/2018– .....** day .–बुधवार–. Witness's apparent age .–**37**– वर्ष.... **States on affirmation** -शपथपूर्वक. **.....** my name is **.....–कृष्णा शर्मा–.....** **W/son of .....–स्व. श्री एम. एल.शर्मा–...** Occupation **....–नोडल ऑफिसर–.....** **address :- –तीसरी मंजिल मेट्रो टावर विजय नगर इंदौर (मध्यप्रदेश) – .....**

1– मैं दिनांक 18/12/2017 को भारतीय एयरटेल कंपनी रायपुर में नोडल अधिकारी के पद पर पदस्थ था। मुझे थाना प्रभारी आजाद चौक रायपुर के माध्यम से पत्र कमांक थाना/आ.चौक/मर्ग/क 24/17बी दिनांक 18/12/2017 प्रेषित किया गया था जिसके माध्यम से मुझसे मोबाईल नं 7223805386 की कॉल डिटेल 01.08.2017 से 14.09.2017 तक मय साक्ष्य अधिनियम 65 बी के सर्टिफिकेट के साथ चाही गई थी तहरीर प्रदर्श पी 16 है जिसकी जानकारी मेरे द्वारा दिनांक 29.12.2017 को मय साक्ष्य अधिनियम 65 बी सर्टिफिकेट के साथ 6 पृष्ठों में प्रदान की गई है सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 17 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है तथा संलग्न प्रत्येक पृष्ठ पर हमारे कार्यालयीन सील लगी है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री संतोष देवांगन, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

2– साक्षी से पूछे जाने पर कि 7223805386 का सिम धारक का नाम और पता क्या है साक्षी का कहना है कि मुझसे पत्र के माध्यम से सिम धारक का नाम और पता नहीं पूछा गया था। दिनांक 24.09.2017 का पत्र कमांक/थाना/आजाद चौक/मर्ग क 24/17/राय/17 में उल्लेखित मोबाईल नंबर 8269562960 का सिम धारक एवं उसका नाम पता के संबंध में जानकारी चाही गई थी ।

3– यह कहना सहीं है कि उक्त मोबाईल सिम का धारक गुलशन चंद्राकर पिता विशाल राम चंद्राकर पता मकान कमांक 235, संतोषी वार्ड भिलाई जिला दुर्ग है जिसकी जानकारी थाना आजाद नगर में अपराध शाखा के अधिकृत मेल के माध्यम से प्राप्त किया था।

साक्षी को पढकर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकार किया ।
सही/–
(देवेंद्र कुमार)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।
सही/–
(देवेंद्र कुमार)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

सत्र प्रकरण कमांक–38/18 *''राज्य विरूद्ध सत्तू साहू''*

Witness No. ....–11– ....   **for** ...–अभियोजन साक्षी–.... **Deposition taken the** ..... –05/09/2018– ..... day .–बुधवार–. Witness's apparent age .–59– वर्ष....

States on affirmation -शपथपूर्वक.   ... my name is ......–**कृपा शंकर सिंह चौहान**–....

W/son of –**श्री रामदेव सिंह चौहान** –.... Occupation ....–**सहायक उपनिरीक्षक**–...........

address :- –**थाना आजाद चौक रायपुर**– ....

1– मैं पिछले चार वर्षो से थाना आजाद चौक मे सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं । मेरे द्वारा दिनांक 12.12.2017 को प्रमोद निषाद की सूचना पर आरोपी सत्तु साहु के विरूद्ध धारा 306 भा.द.वि. अपराध कमांक 271/17 दर्ज कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी 18 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है मेरे द्वारा घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रमोद साहू के बताये अनुसार किया गया था जो प्रदर्श पी 19 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा थाना आजाद चौक रायपुर मे प्रमोद निषाद के पेश करने पर दो मोबाईल फोन जप्त किया था जो जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 2 है जिसके द से द भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। प्रमोद निषाद द्वारा पेश किये मोबाईल फोन से मैसेज का प्रिंट निकाल कर मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न किया गया है। जो आर्टिकल ए 1 है । आरक्षक रमेश कुमार के पेश करने पर सीलबंद पैकेट जिसमें मृतिका ममता निषाद के शव का पीएम के दौरान डॉक्टर द्वारा प्रिजर्व किया है। फांसी का रस्सी दुपट्टा पेश करने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 20 तैयार किया था जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा आरोपी सत्तु साहू का मेमोरेंडम कथन गवाहो के समक्ष दर्ज किया गया था मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी 5 है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। सत्तू साहु के पेश करने पर एक मोबाईल फोन जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 6 तैयार किया था जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

2– मेरे द्वारा मृतिका ममता निषाद के आकस्मिक मृत्यु की सूचना पंजी तैयार की गई थी जो प्रदर्श पी 8 है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे द्वारा मृतिका ममता निषाद के शव को पीएम हेतु भेजन बाबत तहरीर तैयार किया गया था । तहरीर प्रदर्श पी 21 है जिसके अ से अ भाग पर हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा विवेचना के दौरान प्रार्थी प्रमोद निषाद कुसुम निषाद निर्मला, पवन निषाद, महेन्द्र निषाद, युवराज साहू का बयान उनके बताये मुताबिक दर्ज किया था अपनी ओर से कुछ जोड़ा घटाया नहीं था । मेरे द्वारा नोडल अधिकारी रिलांयस कंपनी तथा एयरटेल कंपनी रायपुर को प्रकरण में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र देने हेतु तहरीर दिया गया था। जो प्रदर्श पी 12 एवं प्रदर्श पी 16 है प्रदर्श पी 12 के ब से ब भाग पर हस्ताक्षर है

तथा प्रदर्श पी 16 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 7 तैयार किया था जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । विवेचना पूर्ण कर मेरे द्वारा अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री संतोष देवांगन, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

3— मुझे मृतिका ममता निषाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जिसकी सूचना मुझे दिनांक 14.09.2017 को प्रातः सात बजे प्राप्त हुई।प्रार्थी प्रमोद निषाद द्वारा स्वयं थाने में उपस्थित होकर मुझे सूचना दिया था। यह कहना सहीं है कि प्रमोद निषाद नवभारत प्रेस में बंडलिंग का काम करता हैं। मैं घटना स्थल पर थाने के स्टाफ आरक्षक रमेश मांडले आजाद चौक थाना रायपुर सहित गया था। मै थाने में मर्ग इंटीमेशन दर्ज करने के पश्चात रमेश मांडले के साथ घटना स्थल पहूंचा । साक्षी स्वतः कहता है कि मैं घटना स्थल पहुचने के पूर्व अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया था।

4— यह कहना सहीं है कि रोजनामचा सान्हा पुलिस का दैनंदिनी डायरी होता है। यह कहना सही है कि उस डायरी में प्रतिदिन के कार्य का लेखा जोखा किया जाता है। यह कहना सहीं है कि जब कभी किसी कार्य उद्देश्य अथवा घटना के संबंध में जांच/विवेचना के लिए थाने से संबंधित स्थान थाने से रवानगी और वापसी का उल्लेख रोजनामचा सान्हा में दर्ज किया जाता है।यह कहना सहीं है कि मेरे द्वारा विवेचना के उपरांत चालान तैयार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत चालान/प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं दिनांक 13.09.2017 को रात्रि 9:00 बजे से दूसरे दिन दिनांक 14.09.2017 को प्रातः 09 बजे तक थाने में उपस्थित था।

5— जब मै घटना स्थल पहूंचा उस तो मृतिका के पति और परिवार वाले उपस्थित थे ।यह कहना सहीं है कि प्रदर्श पी 8 में दिनांक में ओव्हर राइटिंग है जिस पर मैने लघु हस्ताक्षर नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मै मृतिका के पति प्रमोद निषाद, साक्षीगणों क्रमशः श्रीमति कुसुम निषाद, श्रीमति निर्मला निषाद, पवन निषाद एवं महेन्द्र निषाद का कथन दिनांक 14.09.2017 को थाने मे बैठकर दर्ज किया था। यह कहना गलत है कि सभी का कथन मैने अपने मन से लेखबद्ध किया था। यह कहना सहीं है कि घटना स्थल के आस पास अन्य मकाने स्थित है । यह भी कहना सहीं है कि वहां पर अन्य लोग भी निवासरत है । यह कहना सहीं है कि घटना स्थल में प्राथी प्रमोद निषाद की माताजी एवं चाचाजी भी निवासरत हैं । यह कहना सही है कि मैने प्रार्थी प्रमोद निषाद की माताजी एवं चाचाजी से घटना के संबंध में कोई पूछताछ कर उनका कथन लेखबद्ध नहीं किया है। इसीलिए प्रकरण में उनका कथन संलग्न नहीं है।

6— यह कहना सहीं है कि घटना स्थल के आस पास में स्थित मकान के रहवासियो से मैने घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन लेखबद्ध नहीं किया है इसीलिये प्रकरण में उनका कथन संलग्न नहीं है। यह भी कहना सहीं है कि समाज के व्यक्तियों से मैने कोई पूछताछ कर उनका कथन लेखबद्ध नहीं किया था इसलिये प्रकरण में उनका कथन संलग्न कर प्रस्तुत नहीं किया ।

7— यह कहना सहीं है कि प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी 18 में थाना जहां पर सूचना प्राप्त हुई दिनांक 12.012.17 समय 08:15 बजे लिखा हुआ है। यह कहना सहीं है कि 8:15 बजे प्रातः का समय है अथवा रात्रि का मैने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है साक्षी स्वतः कहता है कि हम लोगो का समय रात्रि बारह बजने के पश्चात 1 से 24 वाला चलता है। यह कहना सहीं है कि मेरे द्वारा दिनांक 14.09.2017 को तैयार नजरी नक्शा जो कि प्रदर्श पी 19 है उसमें समय का उल्लेख नहीं है। यह कहना सहीं है कि आर्टिकल ए का मेरे द्वारा जप्ती पत्रक तैयार नहीं किया गया है और जप्ती दिनांक का भी उल्लेख मेरे द्वारा नहीं किया गया है । यह कहना सहीं है मेरे द्वारा मोबाईलों की जप्ती की कार्यवाही थाने में की गई है। यह कहना सहीं है कि मैं कम्प्यूटर टायपिंग का ज्ञान नहीं रखता । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा मेमोरेण्डम कथन गवाहों के समक्ष तैयार नहीं किया गया है। यह कहना सहीं है कि आरोपी का मेमोरेण्डम कथन में उपस्थिति हेतु साक्षियों को नोटिस प्रदान नहीं किया गया था।

8— मैं आरोपी सत्तु साहू को दिनांक 12.12.17 को 13:55 बजे उसके निवास स्थान से अभिरक्षा में लिया था। यह कहना सहीं है कि प्रदर्श पी 7 में गिरफ्तारी का दिनांक समय और स्थान रिक्त है। यह कहना सही है कि मैं आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की पत्नी दिनेश्वरी को उसी वक्त उसके निवास स्थान में तैयार करके प्रदान किया था । यह कहना सहीं है कि मोबाईल नंबर 9131019270 का सिमधारक युवराज सिंह है । यह कहना सही है कि जियो कंपनी का सिम सिर्फ 4जी सेट में ही चलता है। यह कहना सहीं है कि मैने युवराज साहू को पुलिस कथन के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया था यह कहना सही है कि मैने उनका कथन किस दिनांक को तैयार किया है उसका भी उल्लेख उसके कथन में नही किया है।

9— यह कहना सहीं है कि मेरे द्वारा दिनांक 18.12.2017 को नोडल अधिकारी भारतीय एयरटेल कंपनी को लिखे पत्र/तहरीर में मैने मोबाईल नंबर 7223805386 का सिमधारक का नाम पिता पता अथवा बायोडाटा के संबंध में जानकारी हेतु उल्लेख नहीं किया है। यह कहना सहीं है कि मेरे द्वारा दिनांक 24.09.2017 को नोटशीट कमांक/थाना/आजाद चौक/मर्ग क.24/17/राय/17 में मोबाईल नंबर 8269562960का सिम धारक गुलशन चंद्राकर पिता विशाल राम चंद्राकर पता भिलाई

जिला दुर्ग है । यह कहना सही है कि मैं उक्त सिमधारक का कथन लेखबद्ध करके प्रकरण में संलग्न कर प्रस्तुत नहीं किया हूं ।

10— यह कहना सहीं है कि मोबाईल नंबर 7223805386 का सिमधारक एन. उमामहेश्वर राव रेड्डी पिता एन पुरूषोत्तम राव रेड्डी मकान नंबर 18/1334 फाफाडीह रायपुर छ.ग. है। यह कहना सहीं है कि उक्त नंबर से प्राथी प्रमोद निषाद के मोबाईल पर मैसेज आया था जो कि आर्टिकल 1 है । यह कहना सहीं है कि मैने उमामहेश्वर राव रेड्डी से कोई पूछताछ कर कथन लेखबद्ध नहीं किया है इसलिए प्रकरण में कथन लेखबद्ध नहीं है ।

11— यह कहना सहीं है कि सम्पूर्ण कार्यवाही के उपरांत जब कोई जांच अथवा विवेचना शेष ना हो तब अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। यह कहना सहीं है कि मेरे द्व ारा अंतिम प्रतिवेदन को विवेचना के उपरांत तैयार किया है । यह कहना सहीं है कि मेरे द्वारा अंतिम प्रतिवेदन में आरोपी सत्तु साहू से सिर्फ एक नग नोकिया कंपनी का मोबाईल जप्त किया था इसलिये अंतिम प्रतिवेदन में उल्लेखित जप्त संपत्ति सत्य एवं सहीं है। यह कहन ा सही है कि मैने सत्तू साहू के मोबाईल मैसेज जप्त नही किया है। मैने मोबाईल फोन और फांसी के फंदे के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की जप्ती नहीं किया था ।

12— मेरे द्वारा मृतिका का लिखित सुसाइडनोट जप्त किया था। यह कहना सहीं है कि मैने सुसाइडनोट की जप्ती पत्रक तैयार किया जाकर प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था। यह कहना सहीं है कि मैने उक्त सुसाइडनोट की लिखावट किसकी है उस संबंध में जांच हेतु मैने हस्तलिपि जांच विशेषज्ञ के पास प्रस्तुत नहीं किया था। यह कहना सहीं है कि उक्त सुसाइडनोट में आरोपी सत्तु साहू के नाम का उल्लेख नहीं है। यह भी कहना सहीं है कि सुसाइडनोट किस दिनांक को तैयार किया गया था दिन, दिनांक, माह, वर्ष का उल्लेख नहीं है । यह कहना सहीं है कि उक्त सुसाइड नोट में यह भी उल्लेख नहीं है कि मैं सत्तु साहू के कारण आत्महत्या कर रहीं हूं। यह कहना सहीं है कि मृतिका की मृत्यु के पश्चात विभिन्न कोनो से फोटोग्राफी एवं विडीयोग्राफी की गई थी। यह कहना सहीं है कि इस प्रकरण में विडियोग्राफी की सीडी प्रस्तुत नहीं की गई है। यह कहना गलत है कि मैने संपूर्ण विवेचना को थाने में बैठकर तैयार कर लिया है। यह कहना गलत है कि मैने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ना तो विवेचना के संबंध में बताया है और ना ही मुझे मेरे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विवेचना के लिए आदेश दिया गया था। यह कहना गलत है कि मैने संपूर्ण विवेचना झूठे रूप से तैयार कर लिया है।

साक्षी को पढकर सुनाया गया । *मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।*
सही होना स्वीकार किया ।

सही/–
(देवेंद्र कुमार)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

सही/–
(देवेंद्र कुमार)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी के हस्ताक्षर .....